रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERD NO D. (D.N.) 12

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 1987/आश्विन 28, 1909
No. 220] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 1987/ASVINA 28, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1987

सार्वजनिक सूचना

सं. प्रतिअदायगी/सा.सू. 14/87

फा.सं. 600/2606, 2608, 2706, 2711/87–प्रतिअदायगी :—सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 [भारत के राजपत्र (असाधारण), दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा.सं. 602/2/70–प्र.अ.]

के नियम 4 के साथ पठित नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार इस मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिअदायगी/सा.सू.–9/87–दिनांक 30 मई, 1987 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 2706 के अंतर्गत निम्नलिखित टिप्पणी अन्तःस्थापित की जाएगी :—

"यदि निर्यातकर्ता संगत आयात और निर्यात नीति के परिशिष्ट 19 के द्वारा उपलब्ध शुल्क छूट योजना का लाभ उठाया है और यदि उसे ऊनी वस्त्रों के निर्माण में इस्तेमाल के लिए निःशुल्क जिपों (और कोई अन्य मद नहीं) का आयात करने की अनुमति दी जाती है, तो ऐसे निर्यातकर्ता को ऊन की मात्रा के लिए उपक्रमांक 2706 के सामने विनिर्दिष्ट 16.00 रुपए प्रति किलो की समग्र उद्योग दर की अनुमति दी जाएगी" ।

यह सार्वजनिक सूचना 1987 अक्तूबर के 20 वें दिन को प्रवृत्त होगी।

कामेश्वरी सुब्रह्मणियन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th October, 1987

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK|PN-14|87

F. No. 600|2606-08, 2706-11|87-DBK.—Under Rule 3 read with Rule 4 of the Customs & Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52 |F. No. 602|2|70-DBK published in the Gazette of India (Extraordinary), dated the 25th August, 1971, the Central Government hereby makes the following amendment in the Table published in the Ministry's Public Notice No. Drawback|PN-9|87 dated the 30th May, 1987 :—

The following Note shall be inserted under sub-serial No. 2706 :—

"In case the exporter avails of the facility of the Duty Exemption Scheme vide Appendix 19 of the relevant Import & Export Policy and is permitted to import Zips (and not any other item) duty free for use in the manufacture of woollen knitwears such

exporter shall be allowed the All Industry Rate of Rs. 16.00 per kg. specified against Sub-Serial No. 2706 for wool content."

This Public Notice shall come into force on the 20th day of October, 1987.

KAMESWARI SUBRAMANIAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987